न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्या 118/2012

शिवनारायण राम -- अपीलार्थी

वनाम

राज्य — रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी

—:आदेश:—

प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 180—2 दिनांक: 11.04..2009 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार संक्षेप में मामला यह है कि प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक 456/सी0 आर0 दिनांक 27.09.2008 के आलोक में बाढ़ राहत से संबंधित रोकड़ पंजी संधारित नहीं रहने के कारण जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 977—2/स्था0 दिनांक 16.11.2008 के द्वारा आरोपी (अपीलार्थी) श्री शिव नारायण राम, तत्कालीन नाजिर राधोपुर प्रखंड को निलंबित किया गया वो अनुमंडल पदाधिकारी, बीरपुर स्थित करजाईन के पत्रांक 628/ दिनांक 11.11.2008 द्वारा अपीलार्थी श्री शिवनारायण राम के विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित तीन आरोप अधिरोपित किये गये —

1. आपके द्वारा दिनांक 20.08.2008 के बाद अद्यतन रोकड़ पंजी संधारित नहीं किया गया।

2. दिनांक 14.06.2008 के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी का रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया।

3. विभिन्न अग्रिम पंजी एवं सैन्य बल की डीजल आपूर्ति करने से संबंधित पंजी में प्रत्येक प्रविष्टि पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं लिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते है कि उपर्युक्त अनियमितता के आलोक में ज्ञपांक 982—2 दिनांक 18.11.08 के द्वारा आरोपी (अपीलार्थी) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचिालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 54 दिनांक 27.02.09 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 20.08.08 से प्रमंडलीय आयुक्त के निरीक्षण तिथि 23.09.2008 तक रोकड़ पंजी संधारित नहीं रहने से संबंधित लगाये गये आरोप आरोपी (अपीलार्थी) के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया। उक्त आलोक में ज्ञापांक 124—2 दिनांक 24.03.2008 के द्वारा आरोपी से द्वितीय कारण पृच्छा पुछा गया। आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा दिनांक 27.03.2009 को द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया। आदेश ज्ञापांक 180—2 /स्था0 दिनांक 11.04.2009 में आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई विषय /बात पर प्रकाश नहीं डाले जाने का उल्लेख करते हुए लिये गये निर्णय पर निम्नन्यायालय द्वारा पुर्नविचार करने की आवश्यकता नहीं महसूस करते हुए उक्त कर्त्तव्यहीनता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित प्रावधानों के तहत आरोपी (अपीलार्थी) श्री राम को निम्न दंड दी गयी है:—

1. संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनबृद्धि पर रोक। इस निर्णय के आलोक में श्री राम को निलंबन से मुक्त किया जाता है एवं उन्हें अनुमंडल कार्यालय निर्मली में पदस्थापित किया जाता है। निलंबन अवधि को कार्य

अवधि मानकर उनके वेतन का भुगतान नियमानुसार करने की स्वीकृति दी जाती है।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी गयी है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते है कि उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा माननीय उच्चन्यायालय में याचिका दायर किया गया था। जिसे उनके द्वारा वापस ले लिया गया तथा इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ दिनांक 09.04.2012 को अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक 06.03.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नप्रकार है:—

"If the petitioner prefers such Appeal within 30 days from today, the petitioner bona fide pursuit of a remedy in the present proceeding, shall constitute ' sufficient cause' under Rule 25."

अपीलार्थी एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि अपील आवेदन में वाद से संबंधित किसी नये विषय अथवा तथ्य पर प्रकाश नहीं डाला गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के बाद इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। चूँकि जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा आरोपी को नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। अतएव निम्नन्यायालय के द्वारा पारित आदेश में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा